E-MAIL

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–सी–15 /बजट/17/2010–11 लखनऊ :: दिनांक:: 31 मार्च, 2011

विषय–वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन/पुनर्ग्रहण।

महोदय,

शासनादेश संख्या–743/38–3–2010–1114/2009, दिनांक 13–4–2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या सी–130/बजट/17/2010–11 दिनॉक 22–4–2010 तथा पत्रॉक सी–05/बजट/2010–11 दिनॉक 14–3–2011 द्वारा आवंटित धनराशि में से विभिन्न मण्डलों द्वारा समर्पित रू02474 हजार मुख्यालय पर अवशेष धनराशि रू02415 हजार एवं पुनः कतिपय मण्डलों द्वारा समर्पित धनराशि का समर्पण स्वीकार करते हुए इसमें से रू0583 हजार (रूपये पाच लाख तिरासी हजार मात्र) संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार आवंटित किया जाता है। पूर्व में आवंटित धनराशि को सम्मिलित करते हुये मण्डलों को विभिन्न मानक मदों में आवंटित धनराशि की प्रगामी योग संलग्नक–2 में दर्शाया गया है।

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में अधिक न हो।

4– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित–1/2007 दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये । इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

5– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक ''2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेतर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत व्यय की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

6– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर (आयोजनेतर पक्ष) के पृष्ठ संख्या–216 पर अंकित कर ली गयी है ।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–4) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन सहित आहरण के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक–सी0–15 /बजट/17/2010–11–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कोषाधिकारी, आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी मण्डल, उ0प्र0।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–3
4– संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
5– संबंधित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
6– गार्ड फाइल हेतु ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

6– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर (आयोजनेतर पक्ष) के पृष्ठ संख्या–216 पर अंकित कर ली गयी है ।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–4) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन सहित आहरण के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक–सी0–15 /बजट/17/2010–11–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य कोषाधिकारी, आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, मिर्जापुर, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झॉसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी मण्डल, उ0प्र0।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–3
4– संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2
5– संबंधित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
6– गार्ड फाइल हेतु ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्र संख्या–नि-15/बजट/ /2010–11 दिनांक 31-3-2011 का संलग्नक–1

आवंटन क्रमांक–5

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयेजनेतर

001–निदेशन तथा प्रशासन

04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

वर्ष 2010–2011 (धनराशि हजार रूपये में)

	मण्डल का नाम	01–वेतन	03–मंहगाई भत्ता	04– यात्रा व्यय	05– स्था0 यात्रा व्यय	06–अन्य भत्ते	08–कार्यालय व्यय	09–विद्युत देय	10– जल कर/ जल प्रभार	11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13–टेलीफोन पर व्यय	15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	29–अनुरक्षण	44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	45–अवकाश यात्रा व्यय	49–चिकित्सा व्यय	51– वर्दी व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आगरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	14	0	39
2	इलाहाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	आजमगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	चित्रकूटधाम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बरेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	बस्ती	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
7	फैजाबाद	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19
8	देवीपाटन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गोरखपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	झांसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कानपुर	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9
12	लखनऊ	167	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383
13	मेरठ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	विन्ध्यांचल	-216	-83	0	0	-1	-8	-8	0	-6	0	-3	0	-12	0	0	0	0	0	-337
15	मुरादाबाद	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	26
16	सहारनपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	वाराणसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	राज्य योग	63	133	-9	0	-1	-8	-8	0	-6	0	-3	55	-12	0	0	0	14	0	218

(रू0 दो लाख अट्ठारह हजार मात्र)

नोट– ऋणात्मक में प्रदर्शित धनराशियां समर्पण / पुनर्ग्रहण की है तथा शेष धनराशि आवंटन की है।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

पत्र संख्या–A-15/बजट/ /2010–11 दिनांक 31-3-11 का संलग्नक–1 आवंटन क्रमांक–5

अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयेजनेतर

001–निदेशन तथा प्रशासन

04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

वर्ष 2010–2011 (धनराशि हजार रूपये में)

	मण्डल का नाम	01–वेतन	03–मंहगाई भत्ता	04– यात्रा व्यय	05– स्था0 यात्रा व्यय	06–अन्य भत्ते	08–कार्यालय व्यय	09–विद्युत देय	10– जल कर/ जल प्रभार	11– लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13–टेलीफोन पर व्यय	15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17– किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	29–अनुरक्षण	44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	45–अवकाश यात्रा व्यय	49–चिकित्सा व्यय	51– वर्दी व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आगरा	3126	1187	30	15	425	9	16	4	8	0	4	103	203	0	0	0	72	4	5206
2	इलाहाबाद	3798	1385	8	0	341	9	0	19	8	0	4	80	18	0	0	0	113	2	5785
3	आजमगढ़	1478	586	23	0	39	10	0	0	8	0	4	30	0	0	0	0	0	0	2178
4	चित्रकूटधाम	133	33	11	0	3	8	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	197
5	बरेली	2003	826	25	16	212	9	60	0	8	0	4	30	0	115	0	0	0	3	3311
6	बस्ती	581	160	22	0	3	8	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	783
7	फैजाबाद	4345	1430	30	0	289	9	40	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	4	6159
8	देवीपाटन	243	69	23	0	2	9	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	355
9	गोरखपुर	4792	1496	35	0	581	10	70	0	8	0	4	90	0	0	0	0	0	5	7091
10	झांसी	2664	876	30	0	224	8	37	0	6	0	3	60	0	0	0	0	0	4	3912
11	कानपुर	1951	690	21	0	204	9	100	0	8	0	4	0	0	15	0	0	0	0	3002
12	लखनऊ	4266	1469	30	0	559	10	40	0	8	0	4	73	0	0	0	0	8	4	6471
13	मेरठ	2115	795	35	0	265	9	25	0	8	0	4	30	0	0	0	0	0	0	3286
14	विन्ध्यांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मुरादाबाद	2096	555	25	0	211	8	0	0	6	0	3	90	0	0	0	0	0	4	2998
16	सहारनपुर	1331	443	25	39	62	8	25	0	6	0	3	30	0	0	0	0	0	0	1972
17	वाराणसी	3029	961	30	0	396	9	15	0	8	0	4	30	67	0	0	0	85	0	4634
	राज्य योग	37951	12961	403	70	3816	142	428	23	116	0	58	646	288	130	0	0	278	30	57340

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये । इसके साथ–साथ राजकीय